अनवान रवीयाराम v/s दुद्याराम
मुकदमा नंबर 149 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03-11-2025

पत्रावली पेश हुई।

दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

विप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

दोनो पक्षो के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में अंकित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के आधार पर अजनबी क्रेता को बेचान करने एवं प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है विवादित भूमि पुश्तैनी होने से एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीने बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूरणीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा घोषणा का वाद पत्र न्यायालय श्री में पेश रखा है जो विचाराधीन है उक्त वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मिठौडा के खसरा संख्या 390, 633, 633/2,650/2, 413 व 650 का बंटवाडा का वाद पत्र प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के पिता गंगाराम के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष वाद पत्र अनवान संख्या 42/1992 पेश किया गया था, जो ततसमय प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के पिता गंगाराम के मध्य कैम्प कोर्ट मिठौडा में उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर अपासी सहमति से खसरा संया 390,633,650/2 व 633/2 वादीगण के पक्ष में तथा खसरा संख्या 413 व 650 प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता गंगाराम के हक में दी गई तथा इसी आशय की डिक्री भी सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 03.06.1992 को पारित की गई जिसके आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई, विवादित भूमि खसरा संख्या 413 सम्पूर्ण हिस्से पर विप्रार्थी संख्या 2 से 6 का कब्जा काश्त है वादग्रस्त भूमि पर विगत 33 वर्षो से विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने के कारण वाद पत्र पोषणीय [illegible] विवादित भूमि का विप्रार्थीगण टिनेन्ट खातेदार है, [illegible] खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:12:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

अनवान रुघीयाराम v/s कुम्भाराम
मुकदमा नंबर 149 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो बिना की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मिठौडा के खसरा संख्या 390, 633, 633/2,650/2, 413 व 650 का वाद माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका मुकदमा नम्बर 42/1992 था। विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 974 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुकदमा संख्या 42/1992 में विवादित भूमियों का समस्या समाधान शिविर मिठौडा में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष पक्षकारन द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किये जाने का सहमति प्रस्तुत किये जाने से तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा प्रकरण संख्या 42/1992 का निस्तारण कर खसरा संख्या 390, 633, 633/2 व 650/2 प्रार्थीगण तथा खसरा संख्या 413 व 640 व विप्रार्थीगण के हक में दी गई इसी अनुसार तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण अथवा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा सहमति के आधार पर किये गये निर्णय को आज दिनांक तक कभी भी किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई प्रार्थीगण ने विवादित भूमि का पुश्तैनी भूमि होने का कथन किया है परन्तु अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे प्रतीत हो कि विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि हो। राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है विधि अनुसार रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूरणीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन को सिद्ध करने में असफल रहा है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:12:09 IST
Reason: SelfAttested